

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 1398 /आर 421/13/ब-1/चार
प्रति.

भोपाल. दिनांक 20/11/2013

शासन के समस्त विभाग.
अध्यक्ष. राजस्व मंडल. ग्वालियर.
समस्त विभागाध्यक्ष / बजट नियंत्रण अधिकारी.
समस्त संभागायुक्त.
समस्त जिलाध्यक्ष.
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी. जिला पंचायत.
मध्यप्रदेश ।

विषय:- पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण के संबंध में संशोधन ।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र 253/आर 213/चार/ब-1/2012. दिनांक 13.02.2012

पुनर्विनियोजन एवं बचतों के समर्पण के संबंध में पूर्व में जारी उपरोक्त परिपत्र में निम्नानुसार संशोधन जारी किए जाते हैं :-

- 1/ परिपत्र की कंडिका--2 (एच) में उल्लेखित 20% के स्थान पर 50% पढ़ा जावे ।
- 2/ परिपत्र की कंडिका -4 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

4. कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित सभी शर्तों के अधीन एक ही योजना शीर्ष (Scheme Code) के उसी उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विभिन्न विस्तृत शीर्षों में. बजट नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय के वित्तीय सलाहकार/वित्त अधिकारी की सहमति से एवं तदाशय का आदेश में उल्लेख करते हुये. कुल बजट प्रावधान का 50% या जिसमें पुनर्विनियोजित किया जाना है के मांग अंतर्गत योजना शीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 50% या 5 करोड या जो भी कम हो तक के पुनर्विनियोजन के अधिकार बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को प्रत्यायोजित किये जाते हैं ।

निरन्तर.....

3/ कंडिका 2 (1) का स्पष्टीकरण :-

किसी भी योजना शीर्ष में एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार पुनर्विनियोजन का आशय यह है कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पुनर्विनियोजन एक ही बार किया जायेगा। यदि दूसरी स्कीम में किसी अन्य स्कीम से या उसी स्कीम से एक बार और पुनर्विनियोजन किया जाना हो तो प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। यदि पुनर्विनियोजन एक स्कीम के विभिन्न उद्देश्य शीर्षों में आपस में करना है तो एक वित्तीय वर्ष में एक बार की सीमा लागू नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(श्रीमन शुक्ला)

संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 20 / 11/2013

1399
प्र 0 क्र 0 /आर 421/चार/ब-1/2013

प्रतिलिपि :-

- 1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
 - 2) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
 - 3) निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
 - 4) सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
 - 5) सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
 - 6) सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 7) महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल इंदौर ग्वालियर ।
 - 8) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म 0 प्र 0 ग्वालियर /भोपाल।
 - 9) आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेशा भोपाल ।
 - 10) मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, म 0 प्र 0 मंत्रालय, भोपाल ।
 - 11) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा, मध्यप्रदेश ।
 - 12) समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
 - 13) समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(राजेश सिंह)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग